अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–पं.नि. 30–25/2015–**2144**

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन, बि.प्र.से
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत)

पटना, दिनांक– **17.12.2015**

विषय :– **पंचायत आम निर्वाचन, 2016–पंचायत निकायों तथा ग्राम कचहरी के निर्वाचन क्षेत्रों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण/आवंटन से संबंधित निर्देश।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक 8939 दिनांक 20.12.2013 से संसूचित किया गया है कि पुराने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का प्रकाशन कर वर्ष 2016 के पंचायत आम निर्वाचन कराने की कार्रवाई की जाए। उक्त पत्र के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक 825 दिनांक 08.04.2015 से सभी जिला पदाधिकारियों को पूर्व से गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का प्रकाशन करने का कार्यक्रम दिया गया है। प्रेषित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20.04.2015 को प्रपत्र–1 में जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। प्रारूप प्रकाशन पर आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात सभी आपत्तियों को मुखर आदेश द्वारा निष्पादित कर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या का अंतिम प्रकाशन दिनांक 11.05.2015 को करने का निदेश दिया गया है। आशा है सभी जिलों में अंतिम प्रकाशन कर दिया गया होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर प्रपत्र–1 में अंतिम रूप में जिला राजपत्र में त्रुटिरहित प्रकाशित जनसंख्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित) ही आरक्षण अवधारण एवं आवंटन में उपयोग के लिए मानक जनसंख्या होगी एवं इस पर कोई विवाद मान्य नहीं होगा।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) की धारा 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा उक्त कोटि की महिलाओं एवं अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। **उक्त अधिनियम की धारा 2 (ख) के अनुसार "पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है " बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम**

सं0 3, 1992) की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम, 1992 की अनुसूची–2 में वर्णित पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए पंचायत चुनाव में कोई आरक्षण अनुमान्य नहीं है। उक्त प्रावधानों एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के अध्याय–3 (तीन) के नियम 9 से 18 से निर्धारित प्रक्रिया के तहत वर्ष 2006 के आम निर्वाचन के समय उक्त कोटियों के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच के पदों पर निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण/आवंटन आयोग द्वारा किया गया था।

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 13, 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009 में संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत आरक्षण में चक्रानुक्रम का सिद्धांत दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात लागू किया जाना है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु धारा–13 (यथा संशोधित) का अवतरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है –

*" 13. **स्थान का आरक्षण** – (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुल स्थानों के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु इससे अनधिक स्थान निम्न के लिए आरक्षित किये जायेंगे :–*

(क) अनुसूचित जाति;

(ख) अनुसूचित जनजाति; और

(ग) पिछड़े वर्ग।

*प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो अनुपात उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है, और ऐसे स्थान किसी ग्राम पंचायत में **भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को विहित रीति से [दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात] चक्रानुक्रम में जिला दंडाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में आवंटित किये जायेंगे।***

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात् शेष बचे स्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या कुल स्थानों के बीस प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक होगी तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कुल मिलाकर पचास प्रतिशत की अधिसीमा के अन्दर होगी, तथा इन स्थानों को विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा शेष निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित

किया जायेगा। वैसे स्थान ***उत्तरवर्ती चुनावों में [दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात] चक्रानुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में उसके द्वारा विहित रीति से जिला दंडाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।***

(2) उप–धारा (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु उससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित ऐसे स्थान ग्राम पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में तथा ***इसके द्वारा यथाविहित रीति से [दो क्रमिक आम निर्वाचन के पश्चात] चक्रानुक्रम से जिला दंडाधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे।***

स्पष्टीकरणः– [शंकाओं के निवारण हेतु एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि इस उप–धारा के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाओं तथा अनारक्षित श्रेणी की महिलाओं के पदों के आरक्षण के प्रयोजनार्थ चक्रानुक्रम सिद्धान्त बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रारंभ होने के पश्चात् हुए प्रथम निर्वाचन से प्रारंभ होगा] "

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 15, 38, 40, 65, 67, 91 एवं 93 में भी यथास्थिति समरूप संशोधन किए गए हैं।

4. उक्त आलोक में वर्ष 2006 में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी के पदों पर विभिन्न कोटियों के लिए किये गये आरक्षण को वर्ष 2011 पंचायत आम निर्वाचन के लिए भी यथावत रखा गया एवं उसी आधार पर वर्ष 2011 में पंचायत आम निर्वाचन संपन्न कराया गया।

5. आगामी पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2016 में संपन्न कराया जाना है, जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच एवं ग्राम कचहरी के सरपंच, कुल छः पदों पर प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। पंचायत समिति के प्रमुख/उप प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उप मुखिया एवं उप सरपंच के पदों पर अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।